वेद प्रशिक्षक के निर्धारणार्थ विज्ञापन प्रारूप प्रदेश संस्करण में शासकीय दर से दिनांक 06.09.2026 को न्यूनतम स्थान में **प्रकाशनार्थ**

विज्ञापन प्रारूप

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वारम्– 249407 (उत्तराखण्ड)

वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना 2026–27

विज्ञापन सं. 08/प्रका0/उ.सं.सं./2026–27, दिनांक 02 सितम्बर, 2026

आवश्यक सूचना (साक्षात्कार Walk in Interview)

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार) द्वारा प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को वेद अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 04 स्थानों (हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा) में **'वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना'** के अन्तर्गत प्रतिमाह रू. 30,000.00 के मानदेय पर योग्य वेद प्रशिक्षकों की नितान्त अस्थायी रूप में आवश्यकता है। नियमावली/दिशा–निर्देश आदि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप संस्थानम् की वेबसाइट www.uksa.uk.gov.in में अंकित हैं।

अतः उक्तानुसार योग्य एवं इच्छुक प्रतिभागी मौखिक परीक्षा **(साक्षात्कार Walk in interview)** हेतु संलग्न आवेदनपत्र की 01 पूरित प्रति, शैक्षणिक आत्मवृत्त (BIO DATA), आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति व 01 फोटो (पासपोर्ट साईज 3.5x4.5 से.मी.) सहित दिनांक 28.09.2026 (सोमवार) को प्रातः 10:00 बजे तक उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।

(प्रो0 विनय कुमार)
सचिव।

(प्रो0 विनय कुमार)
सचिव।
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार।

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना 2026–27

वेद प्रशिक्षक के निर्धारणार्थ महत्त्वपूर्ण सूचना (सितम्बर 2026)

1. उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार) की वार्षिक कार्ययोजना 2026–2027 के प्रस्ताव संख्या–40.2.6 (ज) के द्वारा प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को यजुर्वेद संहिता (माध्यन्दिन शाखा) के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रथम चरण में प्रदेश के 04 प्रमुख स्थानों (हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा) में वेद अध्ययन केन्द्रों का संचालन किया जाना निर्धारित है।
2. संस्कृत विद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों के छात्रों को यजुर्वेद संहिता (माध्यन्दिन शाखा) का अध्यापन कराने के लिए नितान्त अस्थायी रूप में एक वेद प्रशिक्षक की आवश्यकता है।
3. उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् में किसी भी परियोजना के संचालन हेतु कोई पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं तथा न ही किसी परियोजना संचालन में स्थायी नियुक्ति दी जाती है। अतः वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना के अन्तर्गत भी संस्थानम् में किसी भी प्रकार के वेद प्रशिक्षक के पद सृजित नहीं हैं।
4. वेद प्रशिक्षक के निर्धारण की व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप में 31.03.2027 तक के संचालन के लिए की जा रही है।
5. वेद प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक एवं योग्य प्रतिभागी **मौखिक परीक्षा साक्षात्कार** (Walk in Interview) हेतु संलग्न आवेदनपत्र की पूरित 01 प्रति, शैक्षणिक आत्मवृत्त (BIO DATA), मूल आधार कार्ड व स्वप्रमाणित छायाप्रति व 01 फोटो (पासपोर्ट साईज 3.5X4.5 से.मी.) सहित दिनांक 28.09.2026 (सोमवार) की प्रातः 10:00 बजे तक उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।
6. प्रतिभागी के सफल घोषित होने पर पूरित आवेदन पत्र के विवरणानुसार समस्त अंकपत्रों व वांछित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति का 01 सैट काउंसिल के समय मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणानुसार वांछित प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता सिद्ध न होने की स्थिति में सफल प्रतिभागी घोषित होने पर भी प्रशिक्षक निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत अनर्ह माना जायेगा।
7. वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना 2026–27 के अन्तर्गत हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा में प्रत्येक स्थान पर 01–01 वेद अध्ययन केन्द्र का निर्धारण किया जाएगा। निर्धारित अध्ययन केन्द्र (आवासीय) एवं समीपस्थ संस्कृत विद्यालय (यथासम्भव) सहित कुल 02 संस्कृत विद्यालयों में वेद अध्यापन कराना होगा।
8. **प्रशिक्षक की योग्यता–** प्रशिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता शुक्ल यजुर्वेद विषय में आचार्य उपाधि होनी अनिवार्य है।
9. सफल प्रतिभागी के द्वारा निर्धारित वेद अध्ययन केन्द्र (संस्कृत विद्यालय सहित) में नियोजन से पूर्व किसी अन्य संस्था में वेद अध्यापन न किये जाने तथा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान/मानदेय/ वेतन प्राप्त न किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के क्रमांक 14 में उल्लिखित विवरण का रु.10/– का शपथ पत्र देय होगा।
10. प्रतिभागी की आयु दिनांक 01.09.2026 तक 45 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
11. मौखिक परीक्षण में शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिन शाखा) से संबंधित मंत्रों का गान, प्रयोग विधि, स्वर एवं उच्चारण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। साक्षात्कार समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. प्रत्येक वेद प्रशिक्षक हेतु प्रतिमाह रु.30,000/–(रूपये तीस हजार मात्र) मानदेय की व्यवस्था निर्धारित है।

13. वेद प्रशिक्षक को उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् के समय–समय पर प्रेषित समस्त निर्देशों/नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. मौखिक साक्षात्कार में न्यूनातिन्यून 50% अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों में से ही वरियता क्रम में सफल प्रतिभागियों का निर्धारण किया जाएगा।
15. वेद प्रशिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, असत्यता, अनियमितता तथा व्यवहार शून्यता व चारित्रिक न्यूनता पाये जाने पर सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् द्वारा वेद प्रशिक्षक को तत्काल शिक्षण व्यवस्था से निष्कासित किया जायेगा।
16. वेद प्रशिक्षक की व्यवस्था नितान्त अस्थायी है। अतः भविष्य में किसी प्रकार के स्थायित्व के लिए किसी भी स्तर से बाध्य नहीं किया जाएगा, और न ही इस पर कोई विचार किया जायेगा।
17. उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण दिशा–निर्देश का लिंक उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् की वेबसाईट– **www.uksa.uk.gov.in** से प्राप्त कर सकते हैं।
18. इच्छुक प्रतिभागी साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) हेतु दिनांक 28 सितम्बर 2026 (सोमवार) को प्रातः 10:00 बजे, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में उपस्थित हो सकते हैं।
19. उक्त परियोजना के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् का होगा, जिसका पालन सबके लिए अनिवार्य होगा।

03/09/2026
(किशोरीलाल रतूड़ी)
प्रकाशन अधिकारी

03/09/2026
(डॉ. हरीशचन्द्र गुरुरानी)
शोध अधिकारी

(प्रो. विनय कुमार)
सचिव

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना 2026–27

आवेदन पत्र

स्वप्रमाणित छायाचित्र

(1.) नाम ....

(1.) जन्म तिथि .... (01.09.2026 को वर्ष ....माह ....दिन............)

(3.) पिता का नाम ....(4.) माता का नाम ....

(5.) पत्राचार–संकेत ....

.... पिन कोड ....

(6.) मोबाईल संख्या .... (7.) ई–मेल ....

(8.)आधार संख्या .... (फोटो कॉपी लगायें)

(9.)स्थायी पत्रसंकेत ....

.... पिन कोड ....

(10.) राष्ट्रियता... (11.) वैवाहिक स्थिति ....

(12.) शैक्षिक योग्यता– (कृपया अधोलिखितानुसार वांछित विवरण भरें)

कक्षा	मुख्य विषय	उत्तीर्णता वर्ष	परिषद्/विश्वविद्यालय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
पू.म./हाईस्कूल							
उ.म./इण्टर							
शास्त्री							
आचार्य							
अन्य							

(13.) क्या संस्कृत सम्भाषण करने में समर्थ हैं? (हाँ / न)

(14.) मैं शपथ करता हूँ कि मेरे द्वारा पूरित उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण पूर्णतया सत्य है। मैं शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिन शाखा) का अध्यापन कराने में समर्थ हूँ। मैंने **'वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना'** से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण दिशा–निर्देशों को भलीभाँति पढ़ लिया है तथा मैं सभी निर्देशों/नियमों के पालन करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि उक्त योजना केवल माह मार्च, 2027 तक के लिए ही स्वीकृत है। उक्त योजना के अन्तर्गत वांछित वेद प्रशिक्षक नाम का उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् में कोई पद नहीं है। अतः मैं वेद प्रशिक्षक के रूप में स्थायित्व के विषये में कभी भी न्यायालय में वाद नहीं करूंगा।

दिनांक **प्रतिभागी के हस्ताक्षर**